

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक-166 / 14

संस्थापित दिनांक 14 / 03 / 2014

फाईलिंग नं. 233504003482014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

1. मांजू पिता भूरेसिंग मर्सकोले, उम्र 62 वर्ष,
 2. सगन पिता मांजू मर्सकोले, उम्र 37 वर्ष,
 3. पूरन पिता धीरन मर्सकोले, उम्र 47 वर्ष
- उक्त तीनों-जाति गोंड, नि0ग्राम रतेड़ाकला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-19 / 10 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-294, 323/34, 506 भाग-2 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 08.03.14 को 09:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ग्राम रतेड़ा कला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है फरियादी रीना मर्सकोले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया, आपने फरियादी रीना के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त मांजू ने ईट से सह-अभियुक्तगण सगन और पूरन ने हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08/03/14 के 9:00 बजे सुबह की बात है। उसके घर के सामने मांजू रहता है। उसकी जगह में पूरन मर्सकोले मकान बनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तो उसने उसे गड्ढा खोदने से मना किया, इसी बात पर मांजू व सगन और पूरन तीनों उसे गंदी-गंदी गालियाँ माँ बहन की देने लगे, बोले मादर चोद उन्हें मकान बनाने से रोकने वाली कौन होती है, कहकर मांजू ने ईटा से उसके सिर में बांयी तरफ मारा, जिससे चोट आकर खून निकला व दर्द हो रहा है। सगन और पूरन ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किये,

झगडा में बीच बचाव देवकी गोंड और रामदयाल गोंड ने किया एवं उसकी माँ इमरतीबाई ने घटना देखी है व उसके साथ भी तीनों ने गंदी-गंदी गालीयाँ दी है। तीनों ने जान से मारने की धमकी दी पूरन ने जगह नहीं छोड़ने पर कुल्हाड़ी से मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी है।

03— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 201/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323,34, 506 भाग-2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 08/03/14 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 11/03/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 05, 06, 07 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1. “आपने दिनांक 08.03.14 को 09:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ग्राम रतेडा कला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है फरियादी रीना मर्सकोले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”
2. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी रीना के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त मांजू ने ईट से सह-अभियुक्तगण सगन और पूरन ने हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की?”
3. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 02 का निराकरण

06— अभियोजन साक्षी एन0के0 रोहित (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 08.03.14 को सी.एस.सी. आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने कुमारी रिना पिता देवलाल, उम्र 18 साल, जाति गोंड, नि0 रतेडा का परीक्षण किया था जिससे थाना आमला की आरक्षक ईमला इवनते नं0 353 द्वारा अस्पताल लाया गया जिसके सिर के बांये तरफ 2 गुणित 1 गुणित से0मी0 का फटा हुआ घाव पाया था। आगे इस गवाह ने अपनी अभिमत में बताया है कि चोट

साधारण किस्म की थी जो कि कडे एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहत के शरीर में जो चोट पाई गई है। बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत् नहीं किया गया है। उक्त चोट को प्रश्नगत् न करने के कारण यही माना जायेगा कि घटना दिनांक को आहत रीना के शरीर पर चोट होकर उपहति कारित हुई।

07— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट कर आहत रीना को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

08— अभियोजन साक्षी रीना (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके घर के सामने झगडा हुआ था तो उसने उसे गड्ढा खोदने से मना किया तो इसी बात पर से मांजू ने ईट फेंककर मार दिया था। जिससे उसके सिर में बांयी तरफ मारा, जिससे चोट आकर खून निकला व दर्द हो रहा है। सगन और पूरन ने उसे हाथ थप्पड से मारपीट किये। झगडा में बीच बचाव देवकी गौड और रामदयाल गौड ने किया एवं उसकी माँ इमरतीबाई ने घटना देखी जो उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 उसके सामने बनाया था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है और फरियादी रीना (अ.सा.1) के साक्ष्य का समर्थन ईमरती (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है।

09— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि उसने रिपोर्ट झगडे की थी और पंचायत बैठाली थी। आगे यह भी व्यक्त किया है कि घर के सामने गड्ढा मांजू खोद रहा था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि गड्ढा छपरी बनाने के लिए खोद रहे थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसकी जमीन में गड्ढा खोद रहा था। जहां पर उसका पुराना मकान था, वहां पर खोद रहा था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में अस्वीकार किया है कि सगन और पूरन ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अर्थात् आरोपी सगन और पूरन ने भी फरियादी रीना के साथ मारपीट की थी। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि पंचायत द्वारा उसकी माँ और उसकी गलती निकली थी। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि पूरन ने छपरी बनाने के लिए गड्ढे पहले से खोद कर रख लिए थे। इस प्रकार स्वयं फरियादी के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि गड्ढा खोदने को लेकर फरियादी और आरोपीगण के बीच विवाद हुआ। साथ ही इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि गड्ढा खोदने को लेकर ही अभियुक्तगण ने फरियादी रीना के साथ मारपीट की। क्योंकि जो गड्ढा खोदने का विवाद है। उक्त विवाद ही मारपीट के तथ्यों को स्पष्ट करता है। इस प्रकार फरियादी रीना के द्वारा जो अपनी मुख्य परीक्षा में तथ्य बताए हैं कि मांजू ने उसे ईट फेंककर मारा और सगन और पूरन ने हाथ थप्पड से मारपीट की, उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। उक्त तथ्यों का अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

10— अभियोजन साक्षी ईमरती (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि मांजू ने उसकी लड़की रीना को ईट से मारा था जिससे रीना के सिर में चोट लगी

थी और खून निकला था और सगन और पूरन ने गाली बके थे और हाथ से मारपीट किए थे। सबने ही लड़की को मारे थे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि रिना और पूरन वगैरह के बीच में उसने पंचायत बैठाली थी। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसने जमीन की पंचायत बैठाली थी। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि पंचायत ने पूरन ने गड्ढे खोदे थे वह गड्ढे पूरने गई थी तो मंजू ने उसकी लड़की को मार दिया। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि रिना का पैर फिसल जाने से चोट आई थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि पत्थर मारा था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगणों के द्वारा गड्ढा खोदने और फरियादी रिना के द्वारा पूरने पर अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट की। क्योंकि इस गवाह के मुख्य परीक्षा के तथ्य ही सामान्य आशय में मारपीट करने के तथ्य को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि बचाव बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि फरियादी रिना को आई चोट स्वयं के द्वारा कारित की है। बल्कि इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन किया है।

11— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ.सा.6) ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि फरियादी रिना के बाए तरफ 2 गुणित 1 गुणित से०मी० का फटा हुआ घाव था, जो कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी। उक्त तथ्य भी घटना घटित होने पर मारपीट करने से चोट आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

12— अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ.सा.4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मंजू ने ईट से उसकी भांजी रिना को मारा था जिससे रिना के सिर में चोट लगी थी और खून निकला था। सगन और पूरन ने गाली बके थे और हाथ से रिना के साथ मारपीट किये थे। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य लाया गया है कि घटना किसकिस के साथ हुई उसे नहीं पता। किन्तु जो मुख्य परीक्षा के जो तथ्य हैं, उनको अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

13— अभियोजन साक्षी देवकी (अ.सा.3), अभियोजन साक्षी अर्जुन (अ.सा.5), अभियोजन साक्षी यादोराव (अ.सा.7) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

14— अभियोजन साक्षी जी०पी० राम्हारिया (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रार्थियाँ रिना की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी० 2 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 11.03.14 को आरोपी मांजू से एक ईट का टुकड़ा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को आरोपी मांजू, सगन एवं पूरन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 5 लगायत 7 तैयार किया जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थिया रिना, साक्षी देवकीबाई, रामदयाल, इमरती के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। और बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि

जिससे विवेचना अधिकारी के द्वारा की कार्यवाही को अविश्वनीय माना जा सके। इस गवाह ने घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 को सत्यापित किया है और ईट के एक टुकड़े प्र0पी0 4 को भी सत्यापित किया है। साथ ही साक्षी रिना, ईमरती ने कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही घटना की पुष्टि करती है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रीना के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त मांजू ने ईट से सह-अभियुक्तगण सगन और पूरन ने हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 02 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं0 1 व 3 का निराकरण

16— अभियोजन साक्षी रिना (अ.सा.1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे किस आरोपीगण ने किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी और यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि किस आरोपीगण ने उसे किस प्रकार की धमकी दी। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

17— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रीना के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त मांजू ने ईट से सह-अभियुक्तगण सगन और पूरन ने हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि फरियादी रीना मर्सकोले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी अप्रमाणित है कि फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण मांजू, सगन, पूरन ने भा0द0वि0 की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा0द0वि0 की धारा 323/34 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्तगण मांजू, सगन, पूरन को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म0प्र0

18— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हिरामन नागपुरे ने व्यक्त किया कि अभियुक्तगण प्रथम अपराधी

है और वे सभी परिवार के कर्ता सदस्य है। अभियुक्तगण विवाहित है उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे है। अभियुक्तगण के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

19— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को सिर में हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है। साथ ही आरोपीगण लगभग 2 वर्ष तक विचारण में भाग लेते रहे हैं और यह उनका प्रथम अपराध है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को कारावास की सजा न दी जाकर अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण मांजू, सगन, पूरन को भा०द०वि० की धारा 323/34 के अपराध के आरोप में प्रत्येक को 600/—, 600/—(छै:—छै: सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1—1 (एक—एक) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत फरियादी रिना को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 1000/—(एक हजार) दिया जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ईट का टुकड़ा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०